अध्याय प्रथम
शोध परिचय

अध्याय–1

शोध परिचय

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

यह एक निर्विवादित सत्य है कि शिक्षा मानव के अस्तित्व के प्रत्येक क्षेत्र में विकास एवं प्रगति का आधार है। शिक्षा ही मानव में नवचेतना का विकास करती है, आत्म–निर्भर बनने का संबल प्रदान करती हैं। यह सतत् प्रक्रिया ही व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में योग देती है, उसकी व्यैक्तिकता का पूर्ण विकास करती हैं। उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग प्रदान करती है, मानव की जिज्ञासा और स्वाभाविक चिन्तन धारा उसे सतत् अन्वेषण के लिये प्रेरित करती है। सामंजस्य एवं अन्वेषण की प्रक्रिया में वह सतत् सीखता है, सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात करता है एवं विकास की धारा से निरन्तर तादात्मय बनाये रखता है। वातावरणीय अनुकूलन से लेकर आत्म–अभिव्यक्ति तथा अनुभवों के पुनः अन्वेषण में शिक्षा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं ।

"शिक्ष्यते विद्योपदीयतेअनयेति शिक्षा"
अर्थात्
"व्यक्ति जिस साधन प्रणाली से ज्ञान उपार्जित करता है वह शिक्षा है।"

व्यक्ति का समाज के आभ्यन्तर विद्यमान स्वाभाविक मौलिक सत्ता का परिस्फुटीकरण शिक्षा का लक्ष्य हैं। इसी लक्ष्य के माध्यम से मानव समाज को अनुभव, अनुकूलन व अन्वेषण की प्रेरणा मिलती हैं । इसीलिए कहा भी गया है

"शिक्षा वह प्रकाश है, जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर मानव समाज को विकास के पथ पर सदैव अग्रसर करती है।"

व्यक्ति अनुभवों को, वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर तथा स्वयं के व्यक्तित्व में निहित गुणों के माध्यम से अर्जित करता है। व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों का वातावरण की बाह्य शक्तियों के सम्पर्क से संतुलन स्थापित होता है, इसी संतुलन का परिणाम सामंजस्य है। प्रायः दैनिक व व्यवहारिक जीवन में विद्यालयीन शिक्षा में प्रगति के बाद भी व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। उचित सामंजस्य की योग्यता प्रत्येक बौद्धिक धरातल के विधार्थी के लिए आवश्यक है। शिक्षा में नवीन दृष्टिकोण परम्परागत विषयों के मात्र ज्ञान पर बल नही देता है वरन् व्यक्ति में सुसामंजस्य कुशलता के विकास एवं व्यक्तित्व गुणों की परिपूर्णता के विकास पर बल देता है।

शिक्षा को उद्देश्यपरक एवं उपयोगी बनाने के लिए उसमें समयानुसार परिवर्तन अपेक्षित होता है। जिससे बालक एवं बालिकाएं राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका सकुशल निभा सके। गत वर्षो में शिक्षा के विकास के लिए अथक प्रयास किये गये इन प्रयासों के फलस्वरूप भी शिक्षा के ढांचे में अधिक परिवर्तन ना हो सका एवं शिक्षा का स्तर लगातार निम्नतम होता गया। सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि 6 से 14 वर्ष के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे विद्यालयों में जा रहे है। जो 6 करोड़ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे है, उनमें साढ़े तीन करोड़ बालिकाएं एवं ढाई करोड़ बालक हैं। विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेने वाले विधार्थी मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, पिछड़ेपन के कारण शैक्षिक रूप से भी पिछड़े है। पिछड़ेपन का एक कारण सामंजस्यता में न्युनता होना भी है। यह न्युनता प्रायः शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करती है।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

आज शिक्षा के वृहद प्रचार–प्रसार के फलस्वरूप भी बालक–बालिकाओं की शिक्षा–संस्थाओं में पहुंच की संख्या में अन्तर दिखाई देता है। बालकों की तुलना में बालिकाएं कम संख्या में शिक्षा गृहण कर पाती है। वैज्ञानिक क्रांति के युग में इस खाई को पाटने हेतु व्यक्ति में सृजनात्मक विचारों के सृजन में शिक्षा ही अमिट साधन है, जो समाज में रक्तहीन क्रांति के बिना परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है। शिक्षा से ही व्यक्ति पाशविक प्रवृत्तियों को त्यागते हुए शनैः शनैः देवत्व की ओर अग्रसर होता है और स्वयं के विकास के साथ–साथ राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

1.2 बालिका शिक्षा का विकास

'बालिका शिक्षा' भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोई नवीन प्रवृत्ति नहीं है कही जा सकती है, क्योंकि इसकी जड़ हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा में निहित है। आज हम शत–प्रतिशत शिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम 'बालिका' शिक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है। 'बालिका' समाज का मूल है, बालिका की शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण समाज को शिक्षित किया जा सकता है। प्राचीन से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बालिका शिक्षा के विकास को निम्नांकित बिन्दुओं समझा जा सकता है–

1.2.1 प्राचीन परिदृश्य

प्राचीन संस्कृति में देखा जाए तो एक उन्नत समाज के दर्शन होते है। जहां बालिकाओं को समानता का स्थान प्राप्त था एवं वे सम्मानित जीवन व्यतीत करती थी। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं की रचना स्त्रियों ने की है। अनेक दार्शनिक और विदुषी महिलाएँ हुईं, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन शिक्षा हेतु समर्पित कर दिया।

परन्तु कालांतर में स्थितियां बदलती गई और "मध्यकाल" आते–आते बालिकाओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। इस युग में कई धार्मिक कर्मकाण्डों एवं अनुष्ठानों की रचना हुई। विदेशी आक्रमणों की अधिकता के कारण अन्तर्विवाह के विरूद्ध कड़े नियम बनें, कन्यावध की प्रथा शुरू हुई, कौमार्य की रक्षा एवं पवित्रता के नाम पर बाल–विवाह प्रचलित हो गया। बालिकाओं की स्वतंत्रता को गलत माना जाने लगा तथा पर्दाप्रथा का उद्‌भव हुआ। बालिकाओं में स्वतंत्र चेतना का विकास ना हो, इसके लिए तरह–तरह के प्रतिबन्धात्मक उपबन्धों की लक्ष्मण रेखाएं खींची गई, निर्भीकता और निडरता जैसे गुण उनके लिए वर्जित कर दिये गये। गुणशीलता एवं लज्जाशीलता स्त्रियोचित पहचान बन गई।

बालक एवं बालिकाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए अनेक संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा प्रयास किये गये। जिनमें बंगाल में राजाराममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले, दक्षिण में पेरिपर रामास्वामी जैसे समाज सुधारकों ने इस महान देश के मस्तक से जात–पात, छुआछूत के साथ–साथ महिलाओं को शोषण एवं अत्याचार से मुक्त कराने हेतु जीवनपर्यन्त जड़ समाज से संघर्ष किया।इस परिप्रेक्ष्य में मार्गरिट मीड ने लिखा है–

"पुरूष और नारीत्व की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों में अलग–अलग रही है। समाज कुछ विशिष्टताओं को नारीत्व के साथ जोड़कर देखता आया हैं। यही कारण हैं कि समाज, बालक और बालिकाओं का अलग–अलग तरीके से समाजीकरण का आदेश देकर समाज में उनकी भूमिका निर्धारण करता रहा है।"

1.2.2 वर्तमान परिदृश्य

स्वतंत्र भारत के संविधान में बालकों के समान बालिकाओं को समुचित विकास हेतु अवसर प्रदान किये गये हैं। बालिकाओं को परम्परागत बंधनों से मुक्त

करने, उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान भी प्रदान किये गये है। शासन द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक एवं विकासात्मक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें–महिला सामाख्या, स्वशक्ति, पंचधारा महिला समृद्धि, दत्तक पुत्री, मनीषा, स्वयंसिद्धा एवं इंदिरा महिला राजराजेश्वरी जैसी योजनाएं हैं।

यह परिस्थितियों की विडम्बना है कि आज भी बालक एवं बालिकाओं के बीच बहुत सी असमानताएं व्याप्त है जो बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को प्रभावित करती है, जिनमें कई समसामायिक एवं पारम्परिक कारण जैसे–बाल मजदूरी, छोटे भाई–बहनों का उत्तरदायित्व, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों का आभाव, माता–पिता का अशिक्षित होना, जागरूकता की कमी, गरीबी, अस्पृश्यता, बाल–विवाह, लिंग–भेद, भाषागत समस्याएं प्रमुख रूप से सम्मिलित है। यह सभी कारण बालिका शिक्षा के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके फलतः बालिका शिक्षा का साक्षरता प्रतिशत निम्नतम होता जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत तालिका क्रमांक 1.1 में इंगित है–

तालिका 1.1 : 2001 की जनगणना अनुसार साक्षरता प्रतिशत

देश एवं प्रदेश	कुल साक्षरता			ग्रामीण साक्षरता			शहरी साक्षरता		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	65.38	75.85	54.16	59.40	71.40	46.70	80.30	86.70	73.10
मध्यप्रदेश	64.08	76.50	50.55	58.10	71.10	42.90	79.67	87.78	70.62

(मेन्युअल रिपोर्ट : लिटरेसी केम्पिन इन इंडिया, नई दिल्ली)

Regional Institute of Education Bhopal (LIBRARY)

देश में जहाँ 75.85 प्रतिशत पुरूष साक्षर है, वही महिलाएं विभिन्न विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं प्रयासों के कारण मात्र 54.16 प्रतिशत साक्षर हो सकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में तो मात्र 46.70 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हो सकी हैं। मध्यप्रदेश की स्थिति बहुत निम्नतम है, यहां 76.50 प्रतिशत पुरूषों के समकक्ष 50.55 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता प्रतिशत मात्र 42.90 प्रतिशत है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की आधे से अधिक महिलाएं आज भी निरक्षरता का अभिशाप झेल रही है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत भी अति निम्न है, जो तालिका क्रमांक 1.2 से स्पष्ट है –

तालिका 1.2 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत

देश एवं प्रदेश	अनुसूचित जाति का साक्षरता प्रतिशत			अनुसूचित जनजाति का साक्षरता प्रतिशत		
	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला
भारत	58.33	72.33	43.28	47.1	59.17	34.76
मध्यप्रदेश	54.69	66.40	41.90	41.16	53.55	28.44

(मेन्युअल रिपोर्ट : लिटरेसी केम्पिन इन इंडिया, नई दिल्ली)

तालिका 1.2 से स्पष्ट है कि देश में अनुसूचित जाति की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 43.28 तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 34.76 है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत अति निम्न क्रमशः 41.90 प्रतिशत तथा 28.44 प्रतिशत है।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

साक्षरता के निम्न स्तर को उन्नत करने हेतु शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अर्थात, सबके लिए शिक्षा सुलभ कराने का प्रावधान रखा गया है। बालिकाओं के उत्थान हेतु भारत सरकार के निमित्त ''सर्व शिक्षा अभियान'' महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित कर रहा है। जिसके अन्तर्गत बालिकाओं की शैक्षिक व्यवस्था हेतु, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

1.3 बालिका शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान

बालिकाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बलिकाओं की शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र है। सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सभी क्रियाकलापों में लैगिंक आधार पर उत्पन्न समस्याओं को मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बस्ती/ग्राम/शहरी मलिन बस्ती स्तर पर अभिप्रेरण, अध्यापकों की भर्ती, प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नयन, मध्याह्न भोजन, गणवेश, छात्रवृत्तियाँ जैसे शैक्षिक प्रावधान इन सभी क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। मुख्य धारा में शामिल करने के अलावा अभिप्रेरण, महिला सामाख्या, किशोर बालिकाओं के लिए वापिस स्कूल चलों शिविरों, महिला समूहों के बड़े पैमाने पर प्रक्रिया–आधारित कार्यक्रम आयोजन, जैसे प्रयास किये जा रहे है। चयन के मापदण्डों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के बीच न्यून महिला साक्षरता के तत्व को ध्यान में रखा जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान, विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं, विशेष रूप से वंचित वर्गो की बालिकाओं को विद्यालय में लाने के निमित्त विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता स्वीकार करता है। इस प्रयोजन के लिए सूक्ष्म योजना के

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

समय विद्यालय ना जाने वाली बालिकाओं की समुचित रूप से पहचान की जाती है। इसके लिए विद्यालय के प्रभावी प्रबंध में सहभागिता पूर्ण प्रक्रिया के आधार पर बालिकाओं को सहयोजित करने की भी आवश्यकता होती है। बालिकाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं और शिक्षा को उनके जीवन के लिए प्रासंगिक बनाये जाने की ओर ध्यान देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्रमुख प्रयासों का वर्णन निम्नलिखित है –

- बालिकाओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष शिविरों और सेतु पाठ्यक्रमों का आयोजन।
- बालिकाओं के लिए वैकल्पिक विद्यालयों के विशेष मॉडल स्थापित करना जैसे – अंगना विद्यालय, बाल विद्यालय, बाल शालाएं, सहज शिक्षा केन्द्र, ए.ई.एस. एवं ई.सी.ई. केन्द्र।
- बालिका शिक्षण शिविर (किशोर बालिकाओं के लिए शिविर)।
- धार्मिक शिक्षा के केन्द्रों, जैसे मकतबों और मदरसों में औपचारिक विद्यालय सुविधाएं सुलभ कराना।
- बालिकाओं की शिक्षा के मुद्दो पर आवर्ती कार्यवाही के लिए बी.ई.सी, एम.टी.ए. के रूप में महिला समूहों का प्रयोग करना।
- बालिकाओं की नियमित उपस्थिति के लिए माता–पिता की जागरूकता को बढ़ाने एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- बालिकाओं की शिक्षा तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए स्थिति विशिष्ट नवाचारी परिवर्तन का प्रावधान।

Regional Institute of Education
LIBRARY
Bhopal

- आवश्यकता के अनुसार छात्रावास प्रोत्साहन अथवा विशेष सुविधा के रूप में स्थिति विशिष्ट परिवर्तनकारी उपाय करना।
- आदिवासी क्षेत्रों एवं अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को स्थापित किया गया है।

1.4 बालिका शिक्षा के सार्वभौमिकरण के सदंर्भ में प्रमुख कार्यक्रम तथा योजनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने 'स्त्री–शिक्षा' के विभिन्न लक्ष्यों को सुनिश्चित किया। शिक्षा नीति ने स्त्री–शिक्षा के विकास के संबंध में विभिन्न क्षेत्र निश्चित किए जिनमें विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गई। शिक्षा नीति (1986) के क्रियान्वयन कार्यक्रम के फलस्वरूप अनेक 'स्त्री–शिक्षा' कार्यक्रमों का प्रारंभ हुआ। स्त्री–शिक्षा को पूर्ण साक्षरता अभियान का एक अभिन्न अंग बनाया गया।

यह पर्याप्त प्रोत्साहन का विषय है कि पिछले वर्षों में बालिकाओं के पंजीकरण का सम्पूर्ण पंजीकरण के साथ अनुपात में सार्थक वृद्धि हुई है। यह सरकार द्वारा निश्चित लक्ष्यों के साथ तुलनीय है। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत सन् (1987 से 1988) में भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1,22,890 शिक्षकों का विशेषतः महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया। रिपोर्ट के अनुसार 1993 तक 57 प्रतिशत महिला शिक्षिका थी, 90 प्रतिशत सहायता राष्ट्रीय ''स्त्री-शिक्षा केन्द्र'' प्रदान करता रहा है अभी तक राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा केन्द्रों की संख्या 82000 है। नवोदय विद्यालय में कम से कम 28.44 प्रतिशत बालिकाओं का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार इन

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

विद्यालयों की संख्या राष्ट्रीय लक्ष्यों के तुलनीय पायी गई है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में महिलाओं के पंजीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है।

पूर्ण शिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिलाओं को सक्षम या शक्तिशाली (कानून की दृष्टि से) की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। पूर्ण शिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला अधिगमकर्ताओं की संख्या पुरूषों से अधिक रही है।

भारतवर्ष में यूनीसेफ द्वारा सहायता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो महिला–विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है, वह है 'डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एण्डचाइल्ड डेवलपमेन्ट। यह संस्था उन कार्यक्रमों को सहायता देने को तत्पर है, जिनका कार्यक्षेत्र बाल–विकास, महिला विकास तथा स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्त्री-पुरूष को समान अधिकार तथा समान अवसरों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये ऐसी विकासात्मक योजनाएँ चल रही हैं, जिनका सम्बन्ध महिला विकास के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार दिलाना, धनोपार्जन कार्यक्रम, महिला कल्याण व सहायक सेवाओं द्वारा महिलाओं में एक नवीन चेतना जागृत करना है।

भारत सरकार महिलाओं की दशा में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये विशेष कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं।

- **महिला समाख्या**– यह कार्यक्रम 1989 में प्रारंभ हुआ जो महिला को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में सफल रहा है। यह 8 राज्यों के 53 जिलों के 8000 से भी अधिक गांवों में क्रियान्वित है। यह राज्य है आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

- **सर्व शिक्षा अभियान**– इस कार्यक्रम का उद्देश्य, सभी मानवीय, आर्थिक तथा संस्थागत संस्थानों को जुटाकर, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस कार्य के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है, जिसके सदस्य राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं।

- **औपचारिकेत्तर शिक्षा**– इस समय पूरे देश में 2.92 लाख औपचारिकेत्तर शिक्षा के केन्द्र हैं, जिसमें 73,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। यह केन्द्र 25 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में फैले हुये हैं, जिसमें 1.15 लाख केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए सुरक्षित है।

- **एन.पी.ई.जी.ई.एल.**–एन.पी.ई.जी.ई.एल., बालिका शिक्षा हेतु प्रारम्भिक स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। यह मध्यप्रदेश में प्रारंभिक बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश/जिले के उन विकासखण्डों का चयन किया जाता है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत से कम है। जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है। उक्त आधारों पर विकासखण्डों को चयनित कर बालिका शिक्षा के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नवोदय विद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा आदि योजनाओं में भी स्त्री शिक्षा पर ही विशेष ध्यान केन्द्रित है। ग्रामीण और कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं तथा गैर–सरकारी संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी ऐसी संस्थाओं को आर्थिक अनुदान देता।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal

आयोग ने 22 विश्वविद्यालयों और 11 महाविद्यालयों को "महिला अध्ययन केन्द्र" स्थापित करने का कार्य सौंपा है। अनेक महिला विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई है।

1.5 बालिका शिक्षा के संदर्भ में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भूमिका

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए विकासखण्ड में महिला साक्षरता दर को बढ़ाने एवं महिला–पुरूष के मध्य प्रारंभिक स्तर की असमानता को दूर करने के लिए **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय** वर्ष 2004–05 से प्रारंभ किए गए। यह विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए संचालित किए गए है, जो स्थानीय कारणों से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती है। इस योजना के अंतर्गत यह विद्यालय उन क्षेत्रों में जहाँ बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवासीय शालाएं संचालित नहीं है, वहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिन विकासखण्डों में ग्रामीण क्षेत्र की राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर 47.13 प्रतिशत या इससे कम है, तथा महिला–पुरूष राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर 21.49 प्रतिशत है, उन विकासखण्डों में यह विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी जाती है। भारत के 24 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में यह विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है जिनमें –

- असम
- आंध्र प्रदेश
- अरूणाचल प्रदेश
- मढ़ीपुर
- महाराष्ट्र
- मेघालय

- ❖ बिहार
- ❖ झारखंड
- ❖ गुजरात
- ❖ हरियाणा
- ❖ हिमाचल प्रदेश
- ❖ जम्मू और कश्मीर
- ❖ मध्यप्रदेश
- ❖ छत्तीसगढ़
- ❖ केन्द्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली
- ❖ मिजोरम
- ❖ उड़ीसा
- ❖ पंजाब
- ❖ राजस्थान
- ❖ तमिलनाडु
- ❖ त्रिपुरा
- ❖ उत्तर प्रदेश
- ❖ उत्तराखण्ड
- ❖ पश्चिम बंगाल

मध्यप्रदेश में वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या तालिका क्रमांक 1.3 में इंगित है–

तालिका 1.3 : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या

जिला	वर्ष 2004–05 में स्वीकृत एवं जुलाई 2005 से प्रारंभ	वर्ष 2005–06 में स्वीकृत एवं जुलाई 2006 से प्रारंभ	वर्ष 2006–07 में स्वीकृत एवं जुलाई 2007 से प्रारंभ
48	70	35	80

(पत्रिका : राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल)

1.5.1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य –

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- शिक्षा की दृष्टि से वंचित क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।
- बालक–बालिकाओं के बीच शिक्षा की दृष्टि से अंतर को समाप्त करना।

- बालिकाओं को प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना है।
- बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आत्म विश्वास बढ़ाना तथा आत्म–निर्भर बनाना।

1.5.2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख लक्ष्य

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रमुख लक्ष्य में वे बालिकाएँ जो.

- प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत् बालिकाएं जो स्थानीय कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती है।
- गरीबी एवं पलायन के कारण विद्यालय में प्रवेश नहीं लेने वाली बालिकाएं।
- नदी, नाले एवं जंगल आदि के कारण प्रारंभिक शिक्षा से वंचित बालिकाएं।
- अभिभावक नहीं होने के कारण शिक्षा से वंचित बालिकाएं।

1.5.3 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रावधान

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं के प्रवेश हेतु निम्नानुसार प्रावधान अपनाए जाते हैं :–

- शाला में स्वीकृत विकासखण्ड में किसी भी क्षेत्र की बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता हैं। स्वीकृत विकासखण्ड में निर्धारित मापदण्ड की बालिकाएं नहीं मिलने पर अन्य विकासखण्ड जहां एन.पी.ई.जी.ई.एल. योजना स्वीकृत हैं, उस विकासखण्ड की बालिकाओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है। शाला प्रवेश में प्रथम प्राथमिकता दूर दराज (5 कि.मी. से अधिक दूर) की ऐसी बालिकाएं जो नदी, नाले एवं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा से वंचित है, को दिया जावेगा ।

- शाला में प्रवेश 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं को दिया जावेगा ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ऐसी जरूरतमंद बालिकाओं को प्रवेश हेतु प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। जो गरीबी, नदी–नाले, जंगल, मौसमी पलायन आदि कारणों से पढ़ना चाहते हुए भी आगे की शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है ।

1.5.4 रणनीति प्रचार–प्रसार

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को नामांकित करने हेतु निम्नलिखित रणनीति का प्रचार-प्रसार किया जाता है –

- सभी स्तरों पर प्रचार–प्रसार किया जाता है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के क्रियान्वयन के लिए जिला, विकासखण्ड, जनशिक्षा केन्द्र स्तरीय अमलों के साथ–साथ वार्डन तथा सहायक वार्डन का भी उन्मुखीकरण किया जाता है।
- ऐसे स्थान जहाँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किए जाते है, वहाँ के विकास खण्ड स्तर पर
  - ❖ जन शिक्षकों का उन्मुखीकरण।
  - ❖ पालक शिक्षक संघ की बैठकों का आयोजन।
  - ❖ संकुल स्तर पर विशेष बैठकों का आयोजन।
  - ❖ जनप्रतिनिधियों की बैठकें।
  - ❖ समाचार पत्र, रेडियों तथा दूरदर्शन के स्थानीय चैनल के माध्यम से भी योजना का प्रचार–प्रसार किया जाता है।
  - ❖ संपर्क कार्यक्रम।

LIBRARY Bhopal

❖ मोटीवेशन कैम्पों का आयोजन।

अतः बालिका शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के निमित्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही है। इसके अन्तर्गत संचालित प्रमुख कार्यक्रमों का प्रभाव बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन, बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति, ठहराव, शिक्षा में गुणवत्ता जैसे प्रमुख लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक है।

1.6 शोध कथन

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन।

Regional ... LIBRARY Bhopal

1.7 अध्ययन की आवश्यकता तथा महत्व

देश की वैज्ञानिक प्रगति एवं आर्थिक उन्नयन के लिए बालिकाओं की शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के निमित्त सबके लिए शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि कार्यक्रमों में संचालन के फलतः भी आज बालिका वर्ग की शिक्षा में प्रतिभागिता प्रतिशत अत्याधिक कम है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं का शिक्षा में प्रतिभागिता प्रतिशत और भी कम है। अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण अधिकांश ग्रामीण बालिकाएं अशिक्षित रह जाती है। कुछ बालिकाएं समीपस्थ कस्बों या नगर में अध्ययन हेतु जाती है, वह नवीन वातावरण के साथ सांमजस्य स्थापित नहीं कर पाती और शिक्षा मध्य में ही छोड़ देती है तथैव उनका शैक्षिक स्तर न्युनतम हो जाता है। अतः बालिका शिक्षा का प्रतिशत निम्न होने का एक कारण उनका नवीन वातावरण के साथ सांमजस्य स्थापित ना कर पाना है। इस दिशा में शासन द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना उत्तम प्रयास है। बालिकाओं

के शैक्षिक विकास को कई पहलू प्रभावित करते है, जिनमें घर का वातावरण, स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण, भावनात्मक स्थिति एवं शैक्षिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना प्रमुख है। यह समस्त सामंजस्य कारक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं को हीं नहीं वरन् अन्य बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध को जानने की जिज्ञासा से ही शोधार्थी ने लघु शोध प्रबन्ध का विषय "**कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि का अध्ययन**" चयनित किया।

1.8 अध्ययन के उद्देश्य

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि की जानकारी प्राप्त करना।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी प्राप्त करना।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य का ज्ञान प्राप्त करना।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य संबंध को जानना।

1.9 अध्ययन की परिकल्पनाएं

1. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।

2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के विभिन्न विषयों में प्राप्त उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है।
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं की कक्षावार शैक्षिक प्रगति में सार्थक अंतर नहीं है।
4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य में सार्थक अंतर नहीं है।
5. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य के कारकों (घर, स्वास्थ्य, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक) में सार्थक अंतर नहीं है।
6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध नहीं है।
7. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं के सामंजस्य के कारकों तथा शैक्षणिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध नहीं हैं।

1.10 अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण

लघुशोध में प्रयुक्त प्रमुख पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है –

❖ **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**

मध्यप्रदेश में प्रत्येक दस में से एक बालिका प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त शाला छोड़ देती है। प्रांरभिक स्तर की शिक्षा, पूर्ण ना करने का एक कारण स्थानीय स्तर पर शाला सुविधा ना होना है। अतः दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली शिक्षा सुविधा से वंचित बालिकाओं के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक उन्हें

आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आरंभ किये गये है।

❖ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाएँ

यह बालिकाएँ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निवास करती हैं तथा शिक्षा प्राप्त करने हेतु समीप के विद्यालय में जाती है। इन बालिकाओं में आवासीय सेतु पाठ्यक्रम में नामांकित ऐसी बालिकाएं, जो कक्षा पाँचवीं में दर्ज होने योग्य है, पांचवीं तक की आश्रम शालाओं से छठवीं में आने वाली बालिकायें, ऐसे ग्राम जहां 3 कि.मी. की परिधि में कोई उच्च प्राथमिक शाला सुविधा उपलब्ध नहीं है, की बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश की पात्रता दी जाती है।

❖ अन्य बालिकाएँ

यह बालिकाएं अपने माता–पिता, भाई–बहिनों के साथ, परिवार में मिलने वाली सामान्य सुविधाओं (जैसे– आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, सुरक्षात्मक) की प्राप्ति के अनुरूप जीवन यापन करती है तथा शिक्षा प्राप्त करने हेतु समीप के विद्यालय में जाती हैं।

❖ शैक्षणिक उपलब्धि

शैक्षणिक उपलब्धि से तात्पर्य शालेय विषयों में प्रवीणता एवं कुशलता से होता है, जो प्रायः शिक्षकों द्वारा निर्मित किये परीक्षणों से प्राप्त किये गये अंकों के द्वारा निर्धारित की गई हो। इसके मापन का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी ने किस सीमा तक विद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है।

प्रस्तुत शोध में शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य बालिकाओं के कक्षा आठवीं के अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम से है।

❖ **शैक्षिक प्रगति**

शैक्षिक प्रगति से तात्पर्य विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों में क्रमिक वृद्धि से हैं।

यहाँ क्रमिक वृद्धि से आशय कक्षा छठवीं, कक्षा सातवीं तथा कक्षा आठवीं में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परीक्षा परिणामों से है।

❖ **सामंजस्य**

सामंजस्य, व्यवहार में परिवर्तन की वह प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी अपने और अपने वातावरण के मध्य समन्वय स्थापित करता है एवं आवश्कताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। सामंजस्य में न्यूनता तथा अधिकता, विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है।

प्रस्तुत शोध कार्य में सामंजस्य से तात्पर्य बालिकाओं के घर, स्वास्थ्य, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक वातावरण से समन्वय स्थापित करना हैं।

1.11 अध्ययन का सीमांकन

- लघु शोध कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य के विदिशा तथा होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत आने वाले विकासखण्डों नटेरन, गंजबासौदा, सोहागपुर, बावई को चयनित किया गया है।
- प्रस्तुत लघु शोध कस्तूरबा गाधी बालिका विद्यालय में निवासरत् बालिकाओं तथा अन्य बालिकाओं तक ही सीमित है।
- लघुशोध कार्य बालिकाओं के सामंजस्य तथा शैक्षणिक उपलब्धि के आंकलन तक सीमित है।
- प्रस्तुत लघुशोध में कक्षा आठवीं की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।

D-267

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बालिकाओं के साथ अध्ययनरत् विद्यार्थियों में से शोध कार्य हेतु बालिकाओं को ही चयनित किया गया है।
- लघुशोध के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है।
- शोध कार्य हेतु वर्ष 2004–05 से संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को चयनित किया गया है।

1.12 अग्र अध्यायों का प्रारूप

- द्वितीय अध्याय में शोध कथन से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन निहित है।
- तृतीय अध्याय में शोध कथन से संबंधित प्रयुक्त शोध प्रविधि की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।
- चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों के विश्लेषण, परिणाम एवं व्याख्या का वर्णन किया गया है।
- पंचम अध्याय में संक्षेपिका, निष्कर्ष, सुझाव एवं भावी शोध हेतु सुझावों को वर्णित किया गया हैं।